न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 25/2012/भीलवाड़ा (2012/00006)

अब्दुल सत्तार अंसारी पुत्र इब्राहिम अंसारी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट, माण्डल जिला भीलवाड़ा आदेश क्रमांक कअ/न्याय/ 2012/340 दिंनाक 21.06.2012

———

उपस्थितः 1— श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 25.10.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पास डी.बी.एम.एल. गन नम्बर 05 शस्त्र अनुज्ञा पत्र 96/96 का लाईसेन्सधारी था। उक्त शस्त्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु मूल पत्रादि उपजिला मजिस्ट्रेट, मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उपजिला मजिस्ट्रेट माण्डल जिला भीलवाड़ा ने प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना सूचना दिये आदेश दिनांक 21—6—2012 के द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 96/96 को रिवोक कर अनुज्ञा पत्र में दर्ज डी.बी.एम.एल. गन नम्बर 05 को तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा

कराने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उप जिला मजिस्ट्रेट माण्डल ने अस्पष्ट कारण रहित एवं नॉन स्पीकिंग आदेश के द्वारा अपीलांट के आवेदन को निरस्त कर अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है। उप जिला मजिस्ट्रेट माण्डल ने एक मात्र आवेदन में खतरे के कारणों के संबंध में स्पष्ट नहीं किये जाने से निरस्त कर भारी भूल की है। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र ए नियम 51 के बिन्दु संख्या 11 सी (2) में सुरक्षा कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया है तथा अपीलांट ने अपना धन्धा कृषि दर्शाते हुए लाईसेन्स उन्हीं कारणों से अपने नाम किये जाने का निवेदन किया था जिसके आधार पर अपीलांट के नाम लाईसेन्स जारी किया गाय लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सुरक्षा कारणों जिसमें सभी कारण समाहित थे, को नजरअन्दाज कर आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। प्रस्तुत मामले में अपीलांट ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण न्यायाधीन नहीं है। अपीलांट ने सुरक्षा कारणों से गन संख्या 5 डी.बी.एल.एल अनुज्ञा पत्र संख्या 96/96 का नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सुरक्षा कारणों को खतरे का कारण नहीं मानकर प्रार्थी का नवीनीकरण के आवेदन पत्र को निरस्त कर अपीलांट के शस्त्र को संबंधित थाने में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट कोई आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नहीं है केवल मात्र अपनी सुरक्षा कारणों से शस्त्र अपने पास रखता था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नवीनीकरण को निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उप जिला मजिस्ट्रेट, माण्डल ने थानाधिकारी माण्डल से अपीलांट के चरित्र के संबंध में रिपोर्ट चाही थी। थानाधिकारी, माण्डल ने केवल अपीलांट के नाम मुकदमा नम्बर 86/2005 अन्तर्गत धारा 147, 307, 153ए, 332, 353 एवं मुकदमा नम्बर 20/2009 अन्तर्गत धारा 147, 332, 303, 342 आईपी.सी. दर्ज होकर जैर ट्रायल होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा

पत्र संख्या 96/96 को रिवोक किया जाकर शस्त्र को संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश पारित कर दिये।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। उपजिला मजिस्ट्रेट, माण्डल द्वारा अपीलांट के नाम डी.बी.एम.एल.गन नम्बर 05 शस्त्र अनुज्ञा पत्र 96/96 बाबत थानाधिकारी माण्डल से रिपोर्ट चाही थी। थानाधिकारी माण्डल द्वारा अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 86/2005 अन्तर्गत धारा 147, 307, 153ए, 332, 353 एवं मुकदमा नम्बर 20/2009 अन्तर्गत धारा 147, 332, 303, 342 आईपी.सी. दर्ज होकर संबंधित न्यायालयों में प्रकरण जैर ट्रायल एवं विचाराधीन होने से लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेन्स आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त आधार पर उपजिला मजिस्ट्रेट, माण्डल द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र गन संख्या 5 डी.बी.एल.एल अनुज्ञा पत्र संख्या 96/96 हथियार को संबंधित थाने पर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलांट के नाम एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या गन संख्या 5 डी.बी.एल.एल अनुज्ञा पत्र संख्या 96/96 हथियार जारी किया हुआ था। उपजिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने थानाधिकारी माण्डल से रिपोर्ट तलब की। थानाधिकारी माण्डल ने अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 86/2005 अन्तर्गत धारा 147, 307, 153ए, 332, 353 एवं मुकदमा नम्बर 20/2009 अन्तर्गत धारा 147, 332, 303, 342 आईपी.सी. दर्ज होकर संबंधित न्यायालयों में प्रकरण जैर ट्रायल एवं विचाराधीन होने से लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेन्स आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। अपीलांट द्वारा बहस के दौरान यह भी यह अवगत नहीं कराया गया है कि उनके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में जो मुकदमें विचाराधीन है उनमें न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है या नही, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 86/2005 अन्तर्गत धारा 147, 307, 153ए, 332, 353 एवं मुकदमा नम्बर 20/2009 अन्तर्गत धारा 147, 332, 303, 342 आईपी.सी. दर्ज होकर संबंधित न्यायालयों में प्रकरण जैर ट्रायल एवं विचाराधीन होने से लोक शांति एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत आर्म्स एक्ट के तहत रिवोक किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उप जिला मजिस्ट्रेट, माण्डल) का आदेश क्रमांक/न्याय/2012/340/दिनांक 21–6–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: